न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 27/2024

हीरालाल पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. बालूसिंह पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
4. शेरसिंह पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
5. कमलादेवी पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी रासलाना।
6. गायत्री पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी रासलाना।
7. रणजीत पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी रासलाना।
8. सुदर्शना पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी रासलाना।
9. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
11. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
12. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
13. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा घेऊ जरिए शाखा प्रबंधक।
14. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा 3 केआरपी करनपुरा।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

\- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री अजय बैनिवाल- **प्रार्थी**

वकील श्री श्रवण सहारण- **अप्रार्थी सं0 1 ता 8**

दिनांक : 26.03.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 28/25 के खसरा संख्या 220 की 7.1450 है0 बारानी, खसरा संख्या 299/2 की 10.8260 है0 बारानी कुल खसरे 2 की 17.9710 है0 बारानी शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण पक्षकारान के मध्य आए दिन सींव डोल माल लगान को लेकर तनाजा बना रहता है। वादभूमि जो अप्रार्थीगण के हिस्से में आती है व उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर आमादा हैं जिसके लिए ग्राहक भी तैयार कर [illegible] है अगर अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर काबिज हो जाते है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब [illegible] को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इस संबंध में प्रार्थी [illegible] फैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की कानूनी [illegible] करने का अधिकारी है कि

अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई [illegible] कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ता 8 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि अप्रार्थीगण का काफी समय पूर्व अच्छी मंदी के हिसाब से आपसी सहमती से कृषि भूमि का वाहमी बंटवारा हो चुका है। उभय पक्ष बंटवारा में आई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज है और शांतिपूर्वक अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है तथा किसी भी प्रकार से अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज नहीं हो रहे है। अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन आदेश प्रभावी रहने से अप्रार्थीगण अपने अपने की हिस्से की भूमि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर वादभूमि को भूमाफिया लोगों को बेचान करने आदि के मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये ही दावा व दरख्वास्त पेश किया गया है। अतः दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि होने के कारण पक्षकारान के मध्य आए दिन सींव डोल माल लगान को लेकर तनाजा बना रहता है। शामिल खाता की भूमि में से अप्रार्थीगण अच्छी व उपजाउ किस्म की कृषि भूमि को बेचान करने की ऐलानिया धमकी दे रहे है और बार बार कृषि भूमि को अजनबी लोगों को बेचान करने के लिए कृषि भूमि दिखा रहा है। इसलिए प्रार्थी वादभूमि का अच्छी व मंदी के अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के अनुसार जोत विभाजन करवाकर प्रार्थी के हक हिस्सा में आई कृषि भूमि की सींव डोल माल लगान आदि अलग कायम कर कब्जा सम्पुष्ट किया जावे। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जा काश्त में मदालखत बेंजा कर रहे हैं और स्वयं या अपने आदमियों की ऐलानियां धमकी दे रहे है कि वे प्रार्थी को उसके हक हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त नहीं करने देंगे और अच्छी किस्म की कृषि भूमि अजनबी लोगों को बेचान करेगें। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दोरान कथन किया कि अप्रार्थीगण का काफी समय पूर्व अच्छी मंदी के हिसाब से आपसी सहमती से कृषि भूमि का वाहमी बंटवारा हो चुका है। उभय पक्ष बंटवारा में आई कृषि भूमि पर अलग अलग काबिज है और शांतिपूर्वक अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे है तथा किसी भी प्रकार से अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज नहीं हो रहे है। प्रार्थी अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करवाते है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। अप्रार्थीगण के खिलाफ स्थगन आदेश प्रभावी रहने से अप्रार्थीगण अपने अपने की हिस्से की भूमि पर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर वादभूमि को भूमाफिया लोगों को बेचान करने आदि के मिथ्या आरोप लगाये है। प्रार्थी ने महज अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिये ही दावा व दरख्वास्त पेश किया गया है।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन [illegible] से यह विश्वास करने का पर्याप्त [illegible] है तथा प्रार्थी को प्रथम आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का [illegible] अजीदावा खाता विभाजन व [illegible] है। [illegible] में सलंग्न है जिसमें दृष्टया आराजी के उपयोग का [illegible] भाग पर अधिकार स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें [illegible] जा सकता। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण सहखातेदार है। सहखातेदार को [illegible] केवल खाता विभाजन के दावा में होता है ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबन्द नहीं [illegible] है। ऐसे में निषेधाज्ञा की बाबत के खिलाफ दावा में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है [illegible] सकती। सह–खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर
[illegible] ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का वाद पत्र प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थी के खिलाफ प्रतीत होता है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग एवं हस्तांतरण आदि करने का पूर्ण अधिकार हासिल है यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी सह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है अप्रार्थीगण रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र के तीनों बिन्दू कमशः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के विरूद्व व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:41:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca